(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 47/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 30 मार्च, 2021

विषयः राजकोषीय वर्ष 2021–2022 हेतु 1.5 लाख मी.ट. मूंग और 4 लाख मी.ट. तूर के आयात हेतु तौर–तरीके।

दिनांक 19 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. सा.आ. 1266 (अ) द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राजकोषीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1.5 लाख मी.ट. मूंग और 4 लाख मी.ट. तूर के वार्षिक कोटा हेतु आयात की अनुमति दी है। इसके अलावा दिनांकः 26 मार्च, 2021 की अधिसूचना सा. आ. 1372 (अ) द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राजकोषीय वर्ष 2021–22 के दौरान 04 लाख मी.ट. के वार्षिक कोटा हेतु उड़द के आयात की अनुमति दी है। उपर्युक्त अधिसूचना की नीतिगत शर्त में कहा गया है कि आयात केवल मिलर्स/रिफाइनर्स/ट्रेडर्स को अनुमत होगा और इसे डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार एक अल्गोरिदम आधारित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवेदकों की पूर्व–निर्धारित संख्या हेतु समान रुप से आवंटित किया जाएगा।

2. तदनुसार, डीजीएफटी की एफटीपी 2015–20 के एएनएफ–2ड के अनुसार इसके आयात हेतु दालों के इच्छुक मिलर्स/रिफाइनर्स/ट्रेडर्स से ऑनलाइन आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है। आवेदक डीजीएफटी वेबसाईट में→सेवाएं→आयात प्रबंधन प्रणाली→प्रतिबंधित आयातों हेतु लाइसेंस पर जा कर आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।

3. ई–मेल अथवा डाक द्वारा आवेदन की प्रति भेजने की कोई आवश्यकता नही है। डाक/कूरियर द्वारा किसी मैनुअल आवेदन अथवा ई–मेल के माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. एक आईईसी के अंतर्गत केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। आईईसी जारी होने की तिथि उस अधिसूचना की तिथि से पहले की होनी चाहिए जिसके लिए आवेदक आवेदन कर रहा है आवेदक प्रत्येक मद के लिए अलग से आवेदन करेगा।

5. सक्षम प्राधिकारी इस मामले में प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर जिन्हें कोटा संवितरित किया जाएगा उन आवेदकों की संख्या पर निर्णय करेगा। अल्गोरिदम आधारित लॉटरी प्रणाली जिन्हें कोटा समान रुप से संवितरित किया जाएगा या जिन्होंने आवेदन किया है जो भी कम हो उनमें से आवेदकों का चयन करेगी।

6. आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2021 को सायं 1700 बजे तक है। कुल उपलब्ध कोटा को पात्र मिलर्स/रिफाइनर्स/ट्रेडर्स के बीच एक अल्गोरिदम आधारित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवेदकों की पूर्व–निर्धारित संख्या में समान रुप से संवितरित किया जाएगा।

7. कृपया यह नोट किया जाए कि वर्ष 2021–22 हेतु मूंग, तूर और उड़द का वार्षिक कोटा क्रमशः 1.5 लाख मीट्रिक टन, 4 लाख मीट्रिक टन और 4 लाख मीट्रिक टन है और यह आवंटन की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा। तदनुसार सफल आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मूंग, तूर और उड़द के आयात की खेप भारतीय पत्तनों पर 31.03.2022 को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाए। आवंटित कोटे के 50 प्रतिशत से कम आयात करने वाले आयातकों को तदनुरुपी वर्ष में आवंटन हेतु आवेदन करने से वंचित किया जाएगा। समय सीमा को बढाने हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
30/03/2021

(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा० सं० एम–5012/300/2002/पीसी–2(क)/पार्ट–IV/ई–5168)